राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

–: तार्किक आदेश :–

वाद संख्या–विधि 60–77/2022..... पटना, दिनांक–...

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद–C.W.J.C.No- 14322/2022 आनन्द कुमार मिश्रा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–30.09.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"(a) Petitioners shall appproach the authority concerned within a period of four weeks from today by filing a representation for redressal of the grievance(s);
(b) The authority concerned shall consider and dispose it of expeditiously by a reasoned and speaking order preferably within a period of four months from the date of its filing along with a copy of the order,
(c) The order assigning reasons shall be communicated to the petitioner;
(d) Needless to add while considering such representation, principles of natural justice shall be followed and due opportunity of hearing afforded to the parties;
(e) Also, opportunity to place on record all relevant materials/documents shall be granted to the parties;
(f) Eqally, liberty is reserved to the petitioners to take recourse to such alternative remedies as are otherwise available in accordance with law;
(g) We are hopeful that as and when pertitioners take recourse to such remedies, as are otherwise available in law, before the appropriate forum, the same shall be dealt with, in accordance with law and with reasonable dispatch;
(h) Liberty reserved to the petitioners to approach the Court, if the need so arised subsequently on the same and subsequent cause of action;
(i) We have not expressed any opinion on merits, all issues are left open; "

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक–01. 11.2022 को आयोग में दिये गये representation पर आयोग में वाद पर सुनवाई दिनांक–15.11. 2022, 24.01.2023, 17.02.2023, 25.07.2023, 07.05.2024, 06.06.2024, 25.06.2024, 09.07.2024 तथा 21.11.2024 को की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, श्री आनन्द मिश्रा(वादी) को अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

3. वादी श्री आनन्द कुमार मिश्रा द्वारा आयोग में स्वयं अपना पक्ष रखा गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वार्ड गठन/परिसीमन के प्रथम चरण में प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त दावा/आपत्ति

के निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा सक्षम प्राधिकार के समक्ष आपत्ति दायर किया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उनके द्वारा इस संबंध में आयोग में भी परिवाद दायर किया गया था। परिवाद के आलोक में आयोग की तरफ से जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), बक्सर को कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया था। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी जिसके कारण उन्हें विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना का शरण लेना पड़ा।

अपने परिवाद के संबंध में आयोग को उनके द्वारा बताया गया कि चीनी मिल एरिया को नये परिसीमन में दो भागों में बाट दिया गया है। एक हिस्सा वार्ड सं0–21 एवं एक हिस्सा वार्ड सं0–33 में सम्मिलित है। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में नया परिसीमन करते हुए हमारे क्षेत्र को वार्ड सं0–34 में रखा गया है। वार्ड सं0–34 का कुल क्षेत्र बाईपास, अमृत नगर वस्ती, मेन नहर एवं बस स्टैंड के पार का इलाका सम्मिलित किया गया, जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निदेश का खुले तौर पर उल्लघंन है।

4. प्रतिवादी अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा यह तथ्य रखा गया कि चीनी मिल का इलाका एक मुहल्ला नहीं बल्कि कई मुहल्लों का क्षेत्र है, जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निदेश, जिसमें वार्ड का गठन मानक जनसंख्या परास के अनुसार किया जाना था, के अनुसार ही वार्ड का परिसीमन/गठन किया गया है।

आगे अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा वार्डों के गठन के संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया एवं आयोग के दिशा निर्देशों के अधिकतम अनुपालन के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पूर्व के नगर परिषद, बक्सर के क्षेत्रविस्तर होने के कारण कुल जनसंख्या के अनुपात में वार्डों का गठन किया गया है। वर्तमान में कुल 22 वार्ड बनाये गये हैं। आयोग के निर्देश के आधार पर पूर्व के वार्ड को शून्य मानते हुए नये सिरे से वार्डो का परिसीमन किया गया है। उनके द्वारा यह भी आयोग को बताया गया कि परिसीमन के संबंध में प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण भी किया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का यह दावा कि वार्डों के परिसीमन के समय प्राकृति अवरोध के बावजूद उन्हें वार्ड सं0–21 के बजाये वार्ड सं0–33 में रखा गया है, सही नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वार्ड गठन में उनके द्वारा आयोग के दिशा निदेशों के अधिकतम अनुपालन एवं न्यूनतम विचलन के सिद्धांत को अपनाया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यदि वादी के निवास स्थल के क्षेत्र को वार्ड सं0–21 के परिसीमा में लाया जाता, तो वार्ड सं0–21 की जनसंख्या निर्धारित मानक जनसंख्या से लगभग 1500 से 2000 ज्यादा हो जाती। ठीक इसीप्रकार वार्ड सं0–33 कि मानक जनसंख्या से 1000 कम हो जाती।

उनके द्वारा यह दावा किया गया कि वार्ड गठन के दिशा निदेशों में जनसंख्या संबंधी दिशा निदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 13 के प्रावधान से शासित है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का आग्रह केवल उनके वार्ड विशेष के बाह्य परिसीमा में किये गये परिवर्तन तक सीमित है, जबकि वार्ड गठन को समग्र रूप से देखे जाने की आवश्यकता है।

उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि वादी का आग्रह विशेष रूप से पुराने वार्ड को यथावत बनाये रखने तक सीमित है, जबकि नये परिसीमन के कारण पुराने वार्डों की सीमा–रेखा परिवर्तित हो गयी है। उन्हें यथावत बनाये रखना न तो संभव था और न ही यह आयोग के दिशा निदेशों के अनुकूल था।

5. परिवादी श्री आनन्द मिश्रा के अनुरोध के आलोक में आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संयुक्त जाँच दल गठित कर स्थल निरीक्षण कराने एवं समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। आयोग के आदेश का मूल आधार यह था कि वार्ड गठन/परिसीमन का अंतिम अनुमोदन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ही किया जाता है।

6. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में आयोग द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा निर्धारित जाँच दल के माध्यम से स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान वाद, श्री आनन्द कुमार मिश्रा, वार्ड सं0–33 एवं वार्ड सं0–21 के प्रतिनिधि तथा अन्य स्थानीय निवासी उपस्थित थे। त्रि–सदस्यीय जाँच दल द्वारा उनके उपस्थिति में सभी तथ्यों की जाँच की गयी तथा अपना संयुक्त प्रतिवेदन आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को उपलब्ध कराया गया, जिसे उनके द्वारा अपनी सहमति सहित पत्रांक–39/निर्वा0 दिनांक–21.04.2023 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया। संयुक्त जाँच दल (श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, उप निदेशक, कल्याण पटना प्रमंडल, पटना, अपर समाहर्त्ता, राजस्व जिला बक्सर तथा श्री विद्यानन्द सिहं, उप निदेशक, पंचायती राज, पटना प्रमंडल, पटना) द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त मंतव्य सहित जो प्रतिवेदन दिया गया है तथा जिस पर आयुक्त ,पटना प्रमंडल, पटना की सहमति है, का प्रभावकारी अंश निम्नवत् है–

"दिनांक–24.03.2023 करे उत्क्रमित नगर परिषद्–बक्सर के वार्ड गठन की प्रक्रिया एवं स्थल का निरीक्षण तीन सदस्यीय द्वारा स्थल पर जाकर किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर परिवादी आनन्द कुमार मिश्रा, वार्ड सं0–33 एवं 21 के वार्ड प्रतिनिधि तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नवत् है–

(क) विस्तारित नगर परिषद्--बक्सर के वार्ड गठन हेतु आयोग के पत्रांक–1427 दिनांक–11.04.2022 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वार्डों के गठन, परिसीमन, प्रारूप, आपत्ति प्राप्त करने एवं प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरान्त आवश्यक आदेश पारित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–16–0643/पं0 दिनांक–12.04.2022 द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बक्सर को प्राधिकृत किया गया।

(ख) वार्ड गठन के निमित प्रारूप का प्रकाशन दिनांक–28.04.2022 को प्रपत्र–06 में करते हुए दिनांक–11.05.2022 तक आपत्ति आमंत्रित किया गया था, जिसका निष्पादन दिनांक–20.05.2022 तक करने का निदेश आयोग द्वारा संसूचित है।

(ग) प्रारूप प्रकाशन के आलोक में अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बक्सर ने परिवादी श्री आनन्द कुमार मिश्रा एवं अन्य के परिवाद पत्र की जाँच करते हुए परिवादी के आपत्ति को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय की प्रति परिवादी को संसूचित करा दी गयी।

(घ) उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्र संख्या 1468 दिनांक–13.04.2022 के दिशा निर्देश के आलोक में वार्ड गठन की मानक जनसंख्या–2965–3965 निर्धारित है परन्तु पूर्व के वार्ड सं0–34 की कुल जनसंख्या–4225 एवं निकटवर्ती वार्ड सं0–21 की जनसंख्या 2874 एवं वार्ड सं0–33 की जनसंख्या 4538 थी। इस कारण इसके अंश को निर्वाचन आयोग के मान के अनुरूप अन्य वार्ड में शामिल किया गया है। जिसको राज्य निर्वाचन आयोग के मानक जनसंख्या के अनुरूप वार्ड सं0–34 की जनसंख्या 3799, वार्ड 21 की जनसंख्या–3731 एवं वार्ड सं0–33 की जनसंख्या–3019 निर्धारित की गयी।

(ड.) आयोग के पत्रांक–1427 दिनांक–10.04.2022 की कण्डिका–10 में स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि जिला दण्डाधिकारी, बक्सर या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरान्त आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा, जो अंतिम होगा। इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बक्सर द्वारा परिवादी के आपत्ति आवेदन के संबंध में सम्यक स्थल निरीक्षण के उपरान्त आयोग के दिशा–निदेश के आलोक में किया गया प्रतीत होता है।

(च) निर्धारित अवधि में प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण के उपरान्त अंतिम रूप से वार्डों के गठन से संबंधित प्रपत्र–06 एवं मानचित्र पर माननीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(छ) स्थलीय जाँच के दौरान वार्ड सं0–21, वार्ड सं0–33 एवं वार्ड सं0–41 के निर्वाचित वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे, जो नगर परिषद् बक्सर के वार्ड गठन की प्रक्रिया से भी सहमत दिखे तथा इसके समर्थन में उनके द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया।

निष्कर्षः– अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि परिवादी के आरोपों के अनुसार यदि पूर्व वार्ड सं0–34 की यथावत रखा जाता तो उसकी कुल आबादी 4225 रहती, जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानक 2965–3965 के समरूप नहीं था, जिस कारण नगर परिषद्, बक्सर के वार्ड का गठन नियामनुकूल नहीं होता।

वर्तमान में नगर परिषद्, बक्सर में सभी वार्ड सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है एवं वर्तमान में क्रियाशील भी है।

7. उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने के उपरान्त नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए वादी श्री आनन्द कुमार मिश्रा का पक्ष प्राप्त करने हेतु सुनवाई की गयी, जिसमें वादी द्वारा इस बात की शिकायत की गयी की जाँच दल के सदस्यों द्वारा आने के ठीक पूर्व उन्हें दूरभाष पर सूचना दे दी गयी जिसके कारण वह पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, हलांकि वह जाँच प्रक्रिया में उपस्थित थे परन्तु वह इसी कार्यवाही से संतुष्ठ नहीं है।

8. वादी के उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु जाँच दल को पुनः स्थल निरीक्षण कर परिवादी के आपत्तियों एवं नियमों के परीक्षणोंपरान्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया जिसके आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–150/निर्वा दिनांक–19.09.2024 द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (श्री अशोक कुमार सिंह, उप निदेशक, कल्याण पटना प्रमंडल, पटना, कुमारी अनुपम सिंह, अपर समाहर्त्ता, राजस्व, जिला–बक्सर तथा श्री विद्यानन्द सिंह, उप निदेशक, पंचायत राज, पटना प्रमंडल पटना से प्राप्त) एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की सी.डी. की प्रति आयोग को प्राप्त हुई। प्रतिवेदन के मुख्य अंश एवं निष्कर्ष निम्नवत् हैः–

I. दिनांक 28.08.2024 को 10:30 बजे पूर्वाहन जाँच दल के सदस्य बक्सर परिसदन पहुँचे। 11:30 बजे पूर्वाहन में परिवादी आनन्द कुमार मिश्रा एवं अन्य भी परिसदन पहुँच गये। बातचीत के क्रम में एवं परिवाद की पुनः जाँच के संबंध में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिउये गये निदेश के आलोक में आनंद मिश्रा से लिखित आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह किया गया। श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाएगी। अनके द्वारा आगे यह भी बताया गया कि उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जाँच की कार्रवाई की जा रही हैं मैंने अपनी सारी वस्तु स्थिति माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। इस संबंध में मेरा कोई नया परिवाद भी नहीं है, न ही मुझे पूर्व के मेरे परिवाद के अतिरिक्त मुझे कुछ नया जोड़ना है, और नहीं मुझे स्थल निरीक्षण कराने की अभिरूचि है। श्री मिश्रा के उपरोक्त कथन से परिसदन में पहुँचे अन्य परिवादी/हित धारक भी सहमत दिखे।

II. थोड़ी देर बाद अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर सदर एवं अपर समाहर्त्ता, राजस्व, जिला बक्सर की उपस्थिति में दोबारा श्री मिश्रा एवं परिसदन में मौजुद अन्य परिवादी/हित धारकों से पूछा गया कि क्या वे कुछ भी लिखित आपत्ति देना चाहते है। परिवादियों ने पुनः ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया। आयोग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में उपवर्णित मामले की विडियोग्राफी भी कराई गई है। आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के ज्ञापांक 130/निर्वा0 दिनांक–26.07.2024 से प्राप्त पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि वादी के उपस्थिति में स्थलीय जाँच कर उत्क्रमित नगर परिषद्, बक्सर की वार्ड गठन की प्रक्रिया एवं स्थल पर वास्तविक स्थिति के संबंध में समग्रता से निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। चूँकि परिवादी एवं अन्य हितधारकों द्वारा कोई भी आपत्ति लिखित में दर्ज कराने से साफ इन्कार कर दिया गया, अतः कोई अग्रेतर जाँच नहीं की गई, क्योंकि पूर्व में भी त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक–24.03.2024 को परिवादी एवं अन्य हितधारकों की उपस्थिति में स्थलीय जाँच के साथ–साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर सदर द्वारा अपनायी गई वार्ड गठन की प्रक्रिया की जाँच की जा चुकी थी एवं अपना प्रतिवेदन भेजा जा चुका था।

III. परिसदन में वार्ड संख्या–21, वार्ड संख्या–33, वार्ड संख्या–41, के निर्वाचित वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे, जो नगर परिषद, बक्सर के वार्ड गठन की प्रक्रिया से पूर्ण रूपेण सहमत दिखे तथा इसके समर्थन में उनके द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया।

निष्कर्षः– परिवादी एवं अन्य हितधारकों द्वारा कोई भी आपत्ति लिखित में दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया गया, अतः कोई अग्रेतर जाँच नहीं की गई, क्योंकि पूर्व में भी त्रिसदस्यीय जाँच दल द्वारा दिनांक–24.03.2024 को परिवादी एवं अन्य हितधारकों की उपस्थिति में स्थलीय जाँच के साथ–साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर सदर द्वारा अपनायी गई वार्ड गठन की प्रक्रिया की जाँच की जा चुकी थी एवं प्रेषित जाँच प्रतिवेदन से जाँच दल के सभी सदस्य अपनी पूर्व में की गई की जाँच से पूर्ण रूपेण सहमत है।

9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में श्री आनन्द कुमार मिश्रा एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में विस्तृत सुनवाई एवं जाँच आयोग तथा आयोग के आदेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के त्रिसदस्यीय जाँच दल द्वारा की गयी। जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण कर यह निष्कर्ष दिया गया है कि नगर परिषद्–बक्सर का परिसीमन यदि परिवादी के दावा अनुसार पूर्व के वार्ड सं0–34 के अनुसार यथावत रखा जाता, तो आयोग को द्वारा निर्धारित जनसंख्या मानक–2965 से 3965 के मध्य नहीं रहता जिससे नगर परिषद्–बक्सर के उक्त वार्ड का गठन नियमानुकूल नहीं होता।

आयोग द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवेदनों एवं आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में वादी श्री आनन्द कुमार मिश्रा के अनुरोध का परीक्षण किया गया, तो पाया गया कि श्री मिश्रा का अनुरोध परिसीमन की मूल भावना के विरूद्ध है। परिसीमन की मूल भावना यह है कि सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र

में वार्ड का इस प्रकार गठन किया जाए कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथाशक्य एक समान रहे तथा वार्डों के भीतर किसी विशेष प्रकार के मतदाता वर्ग का निर्माण नहीं होने पाये एवं यथा संभव मतदाताओं में विविधता रहे जिससे लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार समाज के भिन्न–भिन्न वर्गों के लोग अपने कार्य के आधार पर निर्वाचित हो सके। इसी कारण आयोग द्वारा जब भी परिसीमन/वार्ड गठन की प्रक्रिया हेतु आदेश जारी किया जाता है, तो पूर्व से गठित वार्डों को शून्य मानते हुए नये सिरे से वार्ड गठन का आदेश दिया जाता है।

विचाराधीन मामले में भी यह पाया गया कि परिवादी का आग्रह पूर्व से गठित वार्ड सं0–34 के परिसीमा को यथावत बनाये रखने तक सीमित है परन्तु नगर परिषद्–बक्सर के विस्तार के कारण इसमें नये क्षेत्र एवं जनसंख्या का समावेश हुआ जिसके कारण वार्ड की संख्या, वार्ड की जनसंख्या एवं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन स्वभाविक है। चूकि वार्ड गठन को एक या दो वार्ड के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या या उसकी सीमा दूसरे वार्ड की जनसंख्या या सीमा को प्रभावित करती है। अतः वार्ड का गठन/परिसीमन सम्पूर्ण नगर परिषद् क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

संयुक्त जाँच दल के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद्–बक्सर के वार्डों के गठन विशेष रूप से विचाराधीन वार्ड के गठन में आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अत : वार्ड गठन में श्री आनन्द मिश्रा एवं अन्य के द्वारा लगाये गये अनियमितता के आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री मिश्रा द्वारा प्रथम संयुक्त जाँचदल के प्रतिवेदन को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि उन्हें जाँचदल द्वारा स्थल निरीक्षण के ठीक पूर्व दूरभाष पर आने की सूचना दी गयी थी, जिसके कारण वह अपना पक्ष ठीक ढ़ंग से नहीं रख पाये थे। इसके कारण आयोग द्वारा पुनः जाँचदल भेजने हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को आदेश दिया गया था। द्वितीय जाँचदल के समक्ष श्री मिश्रा एवं अन्य हितधारक उपस्थित भी हुये, परन्तु श्री मिश्रा द्वारा पूर्व के प्रतिवेदन में आपत्ति के बिन्दुओं अथवा अन्य आपत्ति को लिखित रूप से देने से इन्कार कर दिया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि श्री मिश्रा वाद को निष्पादित करने के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रथम संयुक्त जाँचदल के निष्कर्ष एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं पर श्री मिश्रा द्वारा कोई आपत्ति न तो आयोग के समक्ष और न ही द्वितीय संयुक्त जाँचदल के समक्ष की गयी है। इसी कारण से द्वितीय जाँचदल द्वारा भी पूर्व के जाँचदल के प्रतिवेदन के गुणात्मक पहलुओं को स्वीकार किया गया है, जिसे क्रमशः प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना द्वारा भी स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि आयोग द्वारा भी प्रथम प्रतिवेदन के गुणात्मक पहलुओं को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री आनन्द मिश्रा के आरोप/परिवाद का द्वितीय अंश भी स्वीकार योग्य नहीं है कि यदि उनके पूर्व के वार्ड के खण्डित हो जाने पर वहाँ विकास कार्य अवरूद्ध हो जायेगा क्योंकि नगर परिषद्

का प्रत्येक हिस्सा/क्षेत्र किसी न किसी वार्ड का हिस्सा होगा और उस वार्ड का कोई न कोई जनप्रतिनिधि (वार्ड सदस्य) होगा। साथ ही साथ सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए एक उप मुख्य पार्षद् एवं एक मुख्य पार्षद् होंगे। अतः किसी भी व्यक्ति/क्षेत्र के लिए तीन–तीन निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह मानना कि परिसीमन के कारण नये क्षेत्र में शामिल होने के कारण उनके क्षेत्रों में विकास/सफाई आदि का कार्य नहीं किया जाएगा, उचित प्रतीत नहीं होता। अतः पूर्व धारणा के आधार पर श्री आनन्द मिश्रा एवं अन्य का द्वितीय परिवाद भी स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त आदेश के साथ दायर representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

– विधि 60–77/2022 पटना, दिनांक...../–

प्रतिलिपिः– श्री आनन्द कुमार मिश्रा, पिता–श्री बृज बिहारी मिश्रा, चीनी मिल, एल.बी.टी. कॉलेज के निकट, पोस्ट–टाउन थाना, जिला–बक्सर एवं श्री धनंजय कुमार दुबे, पिता–श्री नरवेश्वर दुबे, बिझौरा, थाना–इटरही, जिला–बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– विधि 60–77/2022 2272 पटना, दिनांक 26.5.25/–

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को आदेश दिया जाता है कि आदेश के प्रति वादियों को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन 48 घंटों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26/5/25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।